



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60834-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10540/2026

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : रमेश कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जी.एस.तोमर को सुना।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है: -

"1. परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 0602/2025 (कंप्यूटरीकृत संख्या D202502030000602), श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, मुरादाबाद बनाम मेसर्स पवन डेयरी एवं अन्य, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत जिलाधिकारी, प्रयागराज के समक्ष लंबित है, का यथाशीघ्र, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर, निस्तारण करें।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता/सुरक्षित लेनदार की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारित प्राधिकारी की जांच का दायरा उस उद्देश्य के लिए अधिसूचना में निर्धारित क्षेत्र के संदर्भ में सुरक्षित संपत्ति तक सीमित है और यह भी जांच करने के लिए कि क्या सुरक्षित संपत्ति केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत है या नहीं और यदि ये अनुपालन हैं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के उपायों के अंतर्गत सुरक्षित लेनदारों द्वारा अपनाई गई कार्यवाहियों की शुद्धता की जांच करने के लिए विहित प्राधिकारी के पास कोई कार्य नहीं है। वह या तो आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन की अनुमति दे सकता है, लेकिन इस तरह की तथ्य खोज पूछताछ में नहीं जा सकता है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.10.2024 की अधिसूचना के माध्यम से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि सुरक्षित लेनदारों द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत दायर आवेदन का प्रभावी निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने रिट सी संख्या 42608/2025 (मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) (न्यूट्रल सिटेशन 2026: एचसी:6598-डीबी) के प्रकरण में इस पीठ के हालिया फैसले के माध्यम से अदालत को लिया है, जिसमें पैराग्राफ 24 से 28 और 37 से 41 के माध्यम से, न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

"24. उपर्युक्त प्रतिवेदन में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में 60 दिनों तक की समय-वृद्धि प्रदान करने हेतु उपबंध जोड़े जाने के कारण का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विस्तार केवल विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए जोड़ा गया है, और इससे अधिक विलंब को सामान्य रूप से स्वीकार करना विधि-निर्माताओं की मंशा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। संदर्भ हेतु प्रतिवेदन का प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नवत् है— "25. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी द्वारा कारणों का अभिलेखन—धारा 12 (प्रधान अधिनियम की धारा 14(1) के द्वितीय प्रावधान के पश्चात् एक और प्रावधान जोड़ना)। समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रधान अधिनियम की धारा 14(1) के द्वितीय प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाए, जिससे कि कुछ विशेष परिस्थितियों में CMM/DM को धारा 14 के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु अतिरिक्त समय



प्रदान किया जा सके: “बशर्ते यह भी कि जहाँ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी की यह राय हो कि इस उपधारा के अंतर्गत आदेश 30 दिनों के भीतर पारित नहीं किया जा सकता, तो वह इसके कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसे अतिरिक्त कालावधि के भीतर, जो कुल मिलाकर 60 दिनों से अधिक न हो, आदेश पारित कर सकता है।

25. संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का उपयोग कानून निर्माताओं की मंशा को समझने के लिए किया जा सकता है, और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार स्वीकार किया गया है। कल्पना मेहता बनाम भारत संघ, (2018) 7 एससीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें बाहरी सहायता के रूप में विभिन्न संसदीय कार्यवाहियों पर निर्भरता के मुद्दे पर चर्चा की है और निम्नानुसार देखा है:

"123. आर. नायक बनाम ए.आर. अंतुले [आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले, (1984) 2 एससीसी 183: 1984 एससीसी (सीआरआई) 172] में एक संविधान पीठ ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और कानून में विकास का उल्लेख करने के बाद, यह राय दी कि बहिष्करण नियम अपनी जन्मभूमि में अपने मरते हुए अंगारों में टिमटिमा रहा है और इस न्यायालय द्वारा इसे एक सभ्य दफन दिया गया है। संविधान पीठ ने आगे कहा कि संविधान के सभी सिद्धांतों का मूल उद्देश्य उचित निश्चितता के साथ संसद की मंशा और उक्त उद्देश्य के लिए, अधिनियमन से पहले विशेष समिति की रिपोर्ट, कानून की मौजूदा स्थिति, कानून के अधिनियमन की आवश्यकता के वातावरण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का उचित निश्चितता के साथ पता लगाना है। आदि, जिसे संसद ने लाभ उठाने की विलासिता का पालन किया था, उसे उस न्यायालय को वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसका प्राथमिक कार्य एक कानून को अधिनियमित करने में विधायिका के वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाना है। न्यायालय का विचार था कि इस तरह के इनकार से न्यायालय निर्माण के लिए पर्याप्त और प्रबुद्ध सहायता से वंचित हो जाएगा और इसलिए, न्यायालय ने पहले के फैसलों से हटने का फैसला किया और माना कि कानून के अधिनियमन से पहले की समितियों की रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय समितियों की रिपोर्ट और सूचना एकत्र करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को निर्माण के बाहरी सहायक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

(प्रभाव वर्द्धित)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

26. उपरोक्त के आलोक में, हमारा यह विचार है कि धारा 14 जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उप-धारा (1) के परंतुक के तहत निर्धारित वैधानिक शर्तों की संतुष्टि पर सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 14 के तहत निर्वहन किए गए कार्य की प्रकृति बहुत विशिष्ट है। प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट का कार्य वैधानिक आवश्यकताओं के तथ्यात्मक अनुपालन के सत्यापन तक ही सीमित है। विधायिका ने सचेत रूप से यह सुनिश्चित किया है कि संपार्श्विक चुनौतियां प्रवर्तन प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती हैं, ऐसे मुद्दों को धारा 17 सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए आरक्षित किया गया है।

27. त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, विधायिका ने धारा 14 के तहत आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। समय-सीमा को शामिल करना विधायी आशय का स्पष्ट प्रतिबिंब है कि ऐसे आवेदनों पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए और अनिश्चित काल तक लंबित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह विस्तार केवल कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदान की गई समय-सीमा की व्याख्या की है और यह माना है कि समय सीमा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रदान की गई अधिकतम सीमा से निपटने के दौरान सी. ब्राइट बनाम जिला कलेक्टर और अन्य (2021) 2 एससीसी 392 में निर्देशिका प्रकृति की है।

28. सी. ब्राइट (पूर्वोक्त) में न्यायालय उस स्थिति से निपट रहा था जहां अधिकतम साठ दिनों के बाद मजिस्ट्रेट की शक्ति पर विचार किया जा रहा था और समय-सीमा को प्रकृति में निर्देशिका होने के कारण देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: "21. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि उनके पास सुरक्षित संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति हो। डीआरटी अधिनियम को पहले सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही ने वांछित परिणाम नहीं दिए हैं। इसलिए, विचाराधीन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस न्यायालय ने मार्टिया केमिकल्स, ट्रांसकोर एवं हिंडन फोर्ज लिमिटेड के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि उक्त अधिनियम का उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा देयों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित



करना है। विधायिका का सच्चा इरादा यहां एक निर्धारण कारक है। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्जा करने के लिए प्राधिकरण पर दबाव डालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, समय-सीमा के भीतर कब्जा लेने में असमर्थता जिला मजिस्ट्रेट को कार्यभार प्रदान नहीं करती है। सुरक्षित लेनदार का जिला मजिस्ट्रेट पर कोई नियंत्रण नहीं है जो सार्वजनिक बकाया की वसूली की सुविधा के लिए सार्वजनिक भलाई के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। इसलिए, अधिनियम की धारा 14 की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किए बिना शाब्दिक रूप से नहीं की जानी चाहिए। यदि धारा 14 की भाषा पर कोई अन्य व्याख्या की जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा। समय-सीमा लेनदारों में यह विश्वास पैदा करने के लिए है कि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा देने का प्रयास करेगा और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट पर 60 दिनों के भीतर दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक गंभीर प्रयास करने का कर्तव्य लगाएगा। इस आलोक में, अधिनियम की धारा 14 के तहत उपाय को निरर्थक नहीं बनाया जाता है यदि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा सौंपने में असमर्थ है। जिला मजिस्ट्रेट को अभी भी जल्द से जल्द कब्जा देने की सुविधा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा जाएगा।

37. वैधानिक प्रावधानों और कानूनी सिद्धांतों पर उचित विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण वैधानिक उपाय है और इसके विचार में कोई भी अत्यधिक देरी ऐसे उपाय से इनकार करने के बराबर है, जिसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। धारा 14 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने में देरी से सुरक्षित संपत्ति को प्रतिस्पर्धी दावों, अनुलग्न या ऋणभार के सामने उजागर करने की क्षमता है, जिससे धारा 26E के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त वैधानिक प्राथमिकता को कम किया जा सकता है। ऐसा परिणाम विधायी डिजाइन के साथ पूरी तरह से असंगत होगा। 38. इस न्यायालय ने रिट-C संख्या 7126 वर्ष 2021, इण्डियन बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) बनाम उ०प्र० राज्य एवं 4 अन्य में दिनांक 24.08.2021 को याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया कि वर्तमान कार्यवाही को अनिवार्य रूप से 30 दिनों की अवधि के भीतर संपन्न किया जाए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के रूप में कोई विधिक बाधा न हो। इस न्यायालय ने आगे निम्नानुसार निदेश दिया है: "इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में याचिकाओं को देखते हुए, हम उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर किए गए सभी लंबित आवेदनों का एक रिकॉर्ड/रजिस्टर रखने का निर्देश जारी करते हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो जिला मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से (पाक्षिक आधार पर) उस जिले में किए गए ऐसे आवेदनों के सभी संस्थानों के विवरण का खुलासा कर सकते हैं और उस समय के भीतर निपटान। उक्त रजिस्टर का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर विधिवत निरीक्षण किया जा सकता है और उसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जा सकता है। इस तरह के रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर, अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर किए गए आवेदनों की सभी संस्थाओं की एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक आवेदन के लंबित होने की अवधि के साथ-साथ इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सारणीबद्ध रूप में भेजी जानी चाहिए जो यह संकेत दे सके कि अधिनियम की आवश्यकता पूरी हो रही है, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उपरोक्त निर्देश आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्तमान में, ऐसा प्रतीत होता है कि आम तौर पर वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही में कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा से बहुत अधिक देरी हो रही है। यह परिहार्य मुकदमेबाजी पैदा करता है और अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है। इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रयागराज द्वारा आगे की सूचना और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया जाए। साथ ही, इस आदेश की एक प्रति ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के कार्यकरण से संबंधित उपयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

39. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय के निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है और इसलिए समान प्रकृति के प्रकरण अभी भी नियमित आधार पर इस न्यायालय के समक्ष हैं। इससे इस आदेश की प्रति सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजने की आवश्यकता पैदा हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत दायर आवेदनों पर समय पर आदेश पारित किया जा रहा है।

40. धारा 14, 26डी और 26ई के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सुरक्षित लेनदारों को प्रदान की जाने वाली वैधानिक प्राथमिकता न केवल घोषणात्मक है, बल्कि परिचालन है, और यह आवश्यक रूप से कार्यान्वयन के लिए सौंपे गए अधिकारियों द्वारा समय पर सुविधा प्रदान करती है।

41. उपरोक्त वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, धारा 14 के तहत सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कार्य अस्पष्टीकृत देरी के साथ जारी नहीं रह सकता है। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता-वित्तीय



संस्थान ने इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया है। आवेदन का निरंतर लंबित होना अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है और उचित निर्देश जारी करने की गारंटी देता है।"

5. इस प्रकार, हम जिला मजिस्ट्रेट के लिए सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर आवेदनों को बिना किसी उचित कारण के वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निस्तारण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/निर्धारित प्राधिकारी (जो भी हो) को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत करने के निर्देश के साथ किया जाता है, ताकि सुरक्षित लेनदार, अर्थात् सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत याचिकाकर्ता के लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाए, जैसा कि ऊपर उद्धृत पैराग्राफ में चर्चा की गई है, विधि अनुसार जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सख्ती से निस्तारित किया जाए।

20 मार्च, 2026

संजीव

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)